राज्य सलाहकार समिति की बैठक
दिनांक 31.07.2018
कार्यवाही विवरण

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 के अंतर्गत गठित राज्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 31.07.2018 को (दोपहर 3:00 बजे) संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ के सतपुड़ा भवन स्थित कक्ष में, डॉ. ज्योतसना श्रीवास्तव, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विशेषज्ञ, मेडिकल कॉलेज, भोपाल, (म.प्र), की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

बैठक में निम्नलिखित राज्य सलाहकार समिति के सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. श्री संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल (म.प्र.) ।
2. श्रीमती प्रार्थना मिश्र, संगिनी संस्था, भोपाल (म.प्र) ।
3. श्री मुकेश कुमार सिन्हा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एम.पी.वि.एच.ए (म.प्र.) ।

इसके अतिरिक्त बैठक में निम्नानुसार अन्य सदस्य सम्मिलित हुए:-

1. डॉ. बी.एन.चौहान, संचालक, एन.एच.एम एवं अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एक्ट, भोपाल (म.प्र) ।
2. डॉ. वंदना खरे, संयुक्त संचालक (पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी) एन.एच.एम, भोपाल (म.प्र) ।
3. श्रीमती आशा शर्मा, संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल (म.प्र.) ।
4. सुश्री शुभांगी मुजुमदार, सहायक संचालक, प्रभारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल (म.प्र.)
5. श्रीमती स्वाती बी सिंह, राज्य सलाहकार, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एक्ट, भोपाल (म.प्र) ।

1. राज्य सलाहकार समिति की पूर्व में हुई बैठक दिनांक 07.10.2017 के पालन प्रतिवेदन पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी एवं अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन हेतु बिन्दुवार अभिमत दिया गया:-

1.1. पूर्व की बैठक में पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी अधिनियम एवं नियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर से प्राप्त दिशानिर्देशों के परिपालन पर चर्चा की गयी । नवीन पंजीयन, पंजीयन के नवीनीकरण, निलम्बन एवं निरस्तीकरण, search/seizure, decoy operation, शिकायतों का समयानुसार निराकरण, निरीक्षण एवं जिला सलाहकार समिति हेतु दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में पत्र लिखे जाने हेतु अभिमत दिया गया था । समिति के सदस्यों को जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल हेतु निरीक्षण, तलाशी, जप्ती, सील एवं परिवाद दर्ज करने हेतु विकसित handbook से अवगत कराया गया । अन्य बिन्दुओं पर handbook आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था । इस सम्बन्ध में सदस्यों के समक्ष नवीन पंजीयन, पंजीयन के नवीनीकरण, निलम्बन एवं निरस्तीकरण, search/seizure, decoy operation हेतु मार्गदर्शिका प्रेषित की गयी ।

1.2. PCPNDT MIS के अंतर्गत grievance redressal हेतु module विकसित किये जाने हेतु पूर्व की बैठक में अभिमत दिया गया था | इस विषय में उचित माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत module विकसित करने का परामर्श दिया गया |

1.3. सदस्यों को पूर्व की बैठक में जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के गठन के सम्बन्ध में दिए गए अभिमत के सम्बन्ध में राज्य स्तर से जारी दिशानिर्देश से अवगत कराया गया |

1.4. इसी तरह, जिला सलाहकार समिति के नियमानुसार गठन एवं नियमित बैठक के सम्बन्ध में पूर्व की बैठक में दिए गए परामर्श के सम्बन्ध में जारी पत्र से अवगत कराया गया | महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा जिला सलाहकार समिति की बैठक में जिले स्तर पर पदस्थ महिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सम्मिलित करने हेतु परामर्श दिया गया | इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित विभाग i.e., महिला एवं बाल विकाश विभाग, से इस सम्बन्ध में पत्र प्राप्त करने के उपरांत अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी को पत्र लिखे जाने हेतु अभिमत दिया गया |

1.5. सदस्यों को जिलों से प्राप्त त्रैमासिक रिपोर्ट से अवगत कराया गया | अध्यक्ष महोदया जिलों द्वारा नियमित निरीक्षण एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक नहीं किये जाने पर खेद प्रकट किया गया एंवं इस सम्बन्ध में जिले कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी को पत्र लिखे जाने का अभिमत दिया गया | इसके अतिरिक्त, सदस्यों द्वारा जिले में गठित जिला सलाहकार समिति एवं जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के सदस्यों हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हेतु परामर्श दिया गया |

1.6. PCPNDT MIS के सम्बन्ध में पूर्व की बैठक में की गयी चर्चा एवं दिए गए अभिमत के सम्बन्ध में, सदस्यों को मिशन संचालक, एन.एच.एम. द्वारा जारी DO पत्र से अवगत कराया गया |

1.7. पूर्व की बैठक में, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के manufacturers/distributors/retailers/technicians के पंजीयन प्रक्रिया पर चर्चा की गयी थी | इस सम्बन्ध में राज्य समुचित प्राधिकारी की बैठक दिनांक 19.07.2018 में लिए निर्णय - राज्य से बहर पंजीकृत आवेदक से सम्बन्धित राज्य द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा राज्य समुचित प्राधिकारी से पुष्टि प्राप्त करने के उपरांत - से अवगत कराया गया |

1.8. राज्य एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक में अशासकीय सदस्यों को पी.सी.एंड.पी.एन.डी नियम 1996 के अंतर्गत TA/DA की पात्रता के सम्बन्ध में राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा पृथक से प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लिए गए निर्णय से समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया |

2. बैठक में Missing Pregnacny पर गहन चर्चा की गयी | सदस्यों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय स्थापित पर Missing Pregnancy के monitoring हेतु कार्यप्रणाली -follow up of the outcome - विकसित किये जाने का परामर्श दिया गया |

3. पूर्व की दो बैठकों में राज्य सलाहकार समिति में नामांकित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं पथोलोजिस्ट की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष महोदया द्वारा सम्बन्धित अधिकारी (सिविल सर्जन, जय प्रकाश नारायण शासकीय जिला अस्पताल) से जानकारी प्राप्त करने हेतु अभिमत दिया गया | पूर्व में नामांकित सदस्यों की किसी कारणवश उपलब्धता नहीं होने पर नवीन नामांकन प्राप्त किये जाने हेतु अतिरिक्त अभिमत भी दिया गया |

4. अध्यक्ष महोदया द्वारा अग्रिम बैठक हेतु न्यूनतम 07 दिवस पूर्व बैठक हेतु प्रस्तावित एजेंडा समस्त सदस्यों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए । प्रस्तावित एजेंडा में सदस्यों द्वारा नवीन बिंदु अध्यक्ष की अनुमति से संकलित किये जा सकेंगे ।

31-8-18

अध्यक्ष

राज्य सलाहकार समिति

पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी

म.प्र.